



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 8, 2012/फाल्गुन 18, 1933

No. 353]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 2012/PHALGUNA 18, 1933

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2012

का.आ. 396(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2011 (2012 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 मार्च, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम लागू होगा।

[फा. सं. 44011/01/2007-बीए (पी)]

सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2012

S.O. 396(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Act, 2011 (No. 6 of 2012), the Central Government hereby appoints the 8th day of March, 2012 as the date on which the said Act shall come into force.

[F.No. 44011/01/2007-BA(P)]

SUPRIYA SAHU, Jt. Secy.